सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

**NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES**

File No. DSC/3/2015/MINB1/SEOTH/RU-III

6th floor, 'B' Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110003
दिनांक /Dated: **14.08.2017**

To,

1 The Secretary,
Ministry of information & Broadcasting,
Dr Rajendra Prasad Rd,
Shastri Bhawan,
New Delhi- 110001

2 The Secretary,
Department of Personnel & Training,
North Block,
Central Secretariat,
New Delhi, 110001

3 The Director General,
All India Radio,
Akashvani Bhawan
New Delhi-110001

Sub: Representation dated 20.08.2015 of Shri D.S. Chauhan, Kingsway Camp, Delhi regarding harassment and discrimination on the ground of caste in AIR.

Sir,

I am directed to enclose a copy of Proceedings of the Sitting taken by Hon'ble Vice-Chairperson, NCST, on 09.06.2017 for taking necessary action. The compliance report in the matter may please be furnished to the Commission immediately.

Yours faithfully,

5506-12
14/8/17

14.8.2017

(D.S Kumbhare)
**Under Secretary Govt. of India**

Copy to:

1. Shri Manoj Kumar Pingua, Joint Secretary, Ministry of information & Broadcasting, Dr Rajendra Prasad Rd, Shastri Bhawan, New Delhi- 110001.
2. Smt. Archana Verma, Joint Secretary, Department of Personnel & Training, North Block, Central Secretariat, New Delhi, 110001
3. Shri Satyajit Mishra, Additional DG, All India Radio, Akashwani Bhawan, New Delhi 110001
4. Shri D.S. Chauhan, Dy. Director (Prog) National Channel AIR Todapur Delhi-110012
5. NIC, NCST uploaded on the web site.

14/8/17

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

**(File No. DSC/3/2015/MINB1/SEOTH/RU-III)**

श्री डी.एस. चौहान, उप निदेशक (कार्यक्रम) राष्ट्रीय प्रसारण सेवा, आकाशवाणी के द्वारा आरक्षण इत्यादि में जातीय आधार पर उत्पीड़न एवं भेदभाव करने के अभ्यावदेन के संबंध में सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 09.06.2017 को हुई बैठक का कार्यवृत्त।

| | | |
|---|---|---|
| बैठक की तिथि | : | 09.06.2017 |
| बैठक में उपस्थित अधिकारी | : | परिशिष्ट 'क' |

श्री डी.एस. चौहान, उप निदेशक (कार्यक्रम) राष्ट्रीय प्रसारण सेवा, आकाशवाणी के द्वारा आरक्षण इत्यादि में जातीय आधार पर उत्पीड़न एवं भेदभाव करने के अभ्यावदेन के संबंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा महानिदेशक, आकाशवाणी के साथ दिनांक 01. 07.2016 को चर्चा की गई थी। जिसमें आयोग द्वारा दी गई अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई के अनुसरण में दिनांक 09.06.2017 को माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार एवं महानिदेशक, आकाशवाणी को चर्चा के लिए बुलाया।

2. महानिदेशक, आकाशवाणी ने दिनांक 01.07.2017 के पत्र के माध्यम से उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त की और प्रतिनिधि के रूप में अपर महानिदेशक (प्रशासन एवं कार्यक्रम) और निदेशक (प्रशासन) और उप निदेशक (प्रशासन) ने बैठक में भाग लिया। उपस्थिति के दौरान आकाशवाण महानिदेशालय के अधिकारियों को संबंधित मामले पर वस्तु स्थिति की जानकारी देने को कहा लेकिन आकाशवाणी के अधिकारी संतोषजनक जवाब देने में असमर्थ रहे। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार से संयुक्त सचिव उपस्थित हुई।

3. उपाध्यक्ष महोदया ने अभ्यावेदन श्री डी.एस. चौहान, उप निदेशक (कार्यक्रम), को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया। श्री चौहान ने बताया कि 2003 में सहायक निदेशक (कार्यक्रम), पर तदर्थ आधार पर प्रमोशन के पश्चात् 2014 में पुनः उप निदेशक के पद पर

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

तदर्थ आधार पर प्रमोशन दिया गया और विभाग द्वारा रिजर्वेशन रोस्टर नहीं बनाया गया तथा आरक्षण नीति का उल्लंघन किया जा रहा है। साथ ही अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को पदोन्नति का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है।

i) 1986 बैच में लोक सेवा आयोग के द्वारा चयन हुआ था, जब कि सुश्री अपर्णा वैश जो सामान्य श्रेणी से है और अनुबंध के आधार पर साइंस ऑफिसर के पद रखा गया था। सुश्री अपर्णा वैश को कई प्रमोशन दिए गये और अपर महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुई और मुझे 28 वर्षों की सेवा के बाद एक भी नियमित पदोन्नति नहीं दी गई।

ii) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यह सूचना मांगी गई थी कि भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा अधिनियम 1990 के पश्चात् सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आदेश सं. 45011/19/91–बीए दिनांक 19.12.1991 जिसमें 224 प्रथम कनिष्ठ समय वेतन कार्यक्रम अधिकारी (जेटीएस) में कितने अनुसूचित जनजाति के अधिकारी थे? उनका नाम एवं कमांक संख्या की जानकारी के विषय में आकाशवाणी महानिदेशालय ने सूचित किया कि सूचना उपलब्ध नहीं है। श्री चौहान ने यह भी संज्ञान में लाया कि भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा अधिनियम 1990 लागू होने के बाद आकाशवाणी महानिदेशालय ने नियमित और तदर्थ सभी पदोन्नतियां में रिजर्वेशन रोस्टर पोइन्ट के प्रावधानों और इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के नियमों वे दिशानिर्देशों का पूर्ण रूप से उल्लंघन किया गया और निर्धारित अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों पर अन्य सामान्य वर्ग के अधिकारियों को गलत तरीके से पदोन्नत किया गया जिसे आयोग ने बड़ी गम्भीरता से लिया कि सेवा से संबंधित महत्वपूर्ण रिकॉर्ड कैसे उपलब्ध नहीं हैं।

iii) यदि समय से पदोन्नति मिलती तो आज मुझे अपर महानिदेशक के पद पर होना चाहिए था लेकिन कई वर्षों के बाद वर्ष 2003 में मुझे सहायक निदेशक (कार्यक्रम) के पद पर तदर्थ पदोन्नति दी गयी तत्पश्चात् 2014 में पुनः उप निदेशक (कार्यक्रम) के पद पर तदर्थ पदोन्नति दी गयी इसके बाद मुझे 2017 में उप निदेशक के पद से रिवर्ट करके सहायक निदेशक (कार्यक्रम) तदर्थ पर पदस्थापित किया गया। इस प्रकार कई वर्षों से उच्च पदों पर कार्य करने के बावजूद भी उच्च वेतन मान एवं वेतन से जुड़े लाभों से वंचित किया जा रहा है। जिस वजह से आर्थिक नुकसान के साथ–साथ सामाजिक प्रतिष्ठा को भी आघात लग रहा है। जबकि सभी उच्च श्रेणियों में अनुसूचित जनजाति के पद समुचित संख्या में रिक्त हैं।

4. उपरोक्त बिन्दुओ पर आयोग की माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने महानिदेशालय के अधिकारियों से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96–स्था.

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(आरक्षण) दिनांक 02.07.1997 के अनुसार विभाग में रिजर्वेशन रोस्टर के विषय में जानकारी चाही। जिस पर आकाशवाणी के अधिकारियों ने बताया कि रिजर्वेशन रोस्टर को बनाने का काम चल रहा है। बने हुए रिजर्वेशन रोस्टर को उपाध्यक्ष महोदया द्वारा देखने पर पाया गया कि रिजर्वेशन रोस्टर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों एवं नियमों के अनुसार नहीं है।

5. बैठक में उपस्थित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों ने आकाशवाणी द्वारा बनाए गए रिजर्वेशन रोस्टर को देखकर आपत्ति जताई और उपाध्यक्ष महोदया ने आकाशवाणी के अधिकारियों को बनाए गए रोस्टर को पुनः जांच करने के लिए कहा। आकाशवाणी में रिजर्वेशन और प्रमोशन की इस स्थिति को देखकर उपाध्यक्ष महोदया ने इस प्रकार की स्थिति से आकाशवाणी द्वारा अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके हक से वंचित रखा जा रहा है, जो अत्यंत चिंता का विषय है।

6. उपाध्यक्ष महोदया ने दिनांक 01.07.2016 को आयोग में आयोजित बैठक में दी गई अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई को जानना चाहा। जिसपर आकाशवाणी के उपस्थित अधिकारियों ने बताया कि आयोग द्वारा दी गई अनुशंसाओं के आधार पर रिव्यू डीपीसी का काम चल रहा है और आदेश पारित किया जा चुका है लेकिन इस पर श्री चौहान ने महानिदेशालय के रिव्यू डीपीसी के आदेश दिनांक 28.10.2016 की प्रति प्रस्तुत करते हुए कहा कि पदोन्नति में भी रिजर्वेशन रोस्टर पॉइंट एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं हुआ है। जिस पर उपाध्यक्ष महोदया ने आकाशवाणी के अधिकारियों से कहा कि इतना लम्बा समय बीत जाने के उपरांत भी रिव्यू डीपीसी का काम पूरा नहीं किया जा सका, यह अत्यंत खेद का विषय है एवं शीघ्र रिव्यू डीपीसी का कार्य पूरा करने की आकाशवाणी महानिदेशालय को सलाह दी।

7. आयोग ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया कि इतने लम्बे अंतराल के बाद विभागीय पदोन्नति समिति के लिए नियमों और दिशानिर्देशों की अवहेलना की जा रही है जब कि यह कार्य सुनियोजित एवं निर्धारित समय पर नियमानुसार होना चाहिए था। जिस वजह से श्री चौहान को उनके विधि संगत न्याय से वंचित रखा गया और 29 वर्षो की सेवा के बाद एक भी नियमित पदोन्नति नहीं दी गई। प्रतिवादी इस विषय में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।

8. आयोग ने आकाशवाणी महानिदेशालय के उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि श्री डी.एस. चौहान के प्रमोशन के मामले की पुनः जांच की जाए और इस बैठक के कार्यवृत्त की प्रति प्राप्ति की तिथि से एक माह के अन्दर निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

i) विगत 28 वर्षों से नियमित पदोन्नति क्यों नहीं दी गयी ?

ii) किस वजह से विगत कई वर्षों से तदर्थ पदोन्नति देकर सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तदर्थ पदोन्नति से संबंधित नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है।

iii) विगत 10 वर्षों में ग्रुप 'ए' श्रेणी में कितने अनुसूचित जनजाति के लोगों को पदोन्नति दी गई।

iv) कार्यक्रम श्रेणी में आकाशवाणी में हर ग्रेड/ग्रुप में 40–पॉइंट और 200–पॉइंट रिजर्वेशन रोस्टर है, जिसका अनुपालन हो रहा है इस विषय में संपर्क अधिकारी की जांच रिपोर्ट किया है।

v) 1990 से अनुसूचित जनजाति के पदों को बैकलॉग का विवरण दें।

9. उपाध्यक्ष महोदया ने मामले कि गंभीरता को देखते हुए तदर्थ आधार पर प्रमोशन और रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू न करने के संबंध में सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार व महानिदेशक, आकाशवाणी के साथ बैठक करने का निर्णय लिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों तथा आकाशवाणी महानिदेशालय के अधिकारियों को सलाह दी कि श्री डी. एस. चौहान की पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जनजाति रिजर्वेशन रोस्टर पॉइंट के अनुसार कार्यवृत्त की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट 'क'

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

**(File No. DSC/3/2015/MINB1/SEOTH/RU-III)**

श्री डी.एस. चौहान, उप निदेशक (कार्यक्रम) राष्ट्रीय प्रसारण सेवा, आकाशवाणी के द्वारा आरक्षण इत्यादि में जातीय आधार पर उत्पीड़न एवं भेदभाव करने के अभ्यावदेन के संबंध में सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 09.06.2017 को हुई बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण।

बैठक में भाग लेने वाले

## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष
2. श्रीमती के.डी. बंसौर, निदेशक
3. श्री नरेंद्र कुमार जांगिड़, निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष
4. श्री डी.सी. कटोच, परामर्शक

## सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

1. श्री मनोज कुमार पिंगुआ, संयुक्त सचिव
2. श्रीमती हरचरण कौर, उप निदेशक

## कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार

1. श्रीमती अर्चना वर्मा, संयुक्त सचिव
2. श्री जी. श्रीनिवासन, उप सचिव

## आकाशवाणी महानिदेशालय, भारत सरकार

1. श्री सत्यजीत मिश्रा, अतिरिक्त महानिदेशक
2. सुश्री विनीता सूद, दिनेशक (प्रशासन), आकाशवाणी
3. श्री कमलेश कुमार, उप दिनेशक (प्रशासन), आकाशवाणी